न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर

उपस्थिति—राजेश कुमार—तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या—58/2025

CNR No. UPBU07-000212-2025

राज्य——————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

मीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार ग्राम—धीमही, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर।
.... **अभियुक्ता**

मुकदमा अपराध संख्या—372/2025
धारा 105 भारतीय न्याय संहिता
थाना—डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस—डिबाई, बुलन्दशहर द्वारा मु0अ0सं0—372/2025, अन्तर्गत धारा—105 बी0एन0एस0 में अभियुक्ता मीना देवी के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक—19.08.2025 को संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्ता को अभियोजन प्रपत्रों नकलें प्रदान करने के पश्चात् पत्रावली को दिनांक 01.09.2025 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण के रूप वह पंजीकृत हुआ। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनाँक—16.10.2025 के द्वारा इस पत्रावली को इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया, जो दिनाँक—18.10.2025 को इस न्यायालय को अन्तरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुई।

2. **अभियोग सारिणी**

वादी मुकदमा	महेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह, निवासी ग्राम—धीमही, थाना—डिबाई, जिला—बुलन्दशहर।
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री परवेन्द्र लोधी,** एडवोकेट सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक)
अभियुक्त की ओर से	**श्री जय प्रकाश शर्मा**, एडवोकेट
अन्तर्गत धारा	धारा—105 भारतीय न्याय संहिता
पुलिस थाना	डिबाई
जिला	बुलन्दशहर।

घटना की दिनाँक	30.05.2025
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट	01.06.2025
आरोप की दिनाँक	01.11.2025

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.06.20 14:06:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनाँक	21.11.2025
धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान की दिनाँक	19.03.2026
प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनाँक	19.03.2026
निर्णय आरक्षित करने की दिनाँक	06.06.2026
निर्णय की तिथि	20.06.2026
दण्डादेश की तिथि	20.06.2026

3. वादी महेन्द्र कुमार द्वारा थाना–डिबाई पर **तहरीर प्रदर्श क–1** इस आशय की दी गई कि–सेवा में, श्रीमान, प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना–डिबाई, जिला–बुलन्दशहर महोदय, निवेदन है कि *''मैं महेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम धीमरी थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी मीना और मेरी दादी चमेली देवी और मेरा एक भाई रहते है। मेरी दादी चमेली देवी के साथ में मेरी पत्नी मीना की कहासुनी रहती थी तथा मेरी पत्नी मीना द्वारा मेरी दादी चमेली के साथ में पहले भी कई बार मारपीट की गई थी। मुझे अब भी यह लग रहा है कि मेरी पत्नी मीना द्वारा मेरी दादी चमेली देवी को गुस्से में आकर अचानक से मेरी दादी का सर पटक कर दीवार में मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थी महेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम धीमरी, थाना डिबाई, जनपद बुलन्दशहर मोबाईल 7830842859''*

4. वादी की **तहरीर प्रदर्श क–1** के आधार पर दिनाँक–01.06.2025 को समय 22.30 बजे अभियुक्ता मीना देवी के विरूद्ध अपराध संख्या–372/2025, धारा–105 बी0एन0एस0, थाना–डिबाई, जिला–बुलन्दशहर में **चिक, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2** पंजीकृत हुई, जिसका खुलासा थाने की **जी0डी0 संख्या–82** समय 22.25 बजे दिनाँक–01.06.2025 **प्रदर्श क–3** पर किया गया, जिसकी विवेचना प्रारम्भ में उप–निरीक्षक सुभम चौधरी पी0डब्लू0–9 के सुपुर्द हुई।

5. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर, **नक्शा नजरी प्रदर्श क–10** तैयार किया। गवाहों के बयान लिये तथा घटना स्थल पर पहुँचकर मृतका चमेली देवी की लाश **पंचायतनामा प्रदर्श क–4** तैयार किया गया। मृतका का पोस्ट मार्टम कराये जाने हेतु उससे सम्बन्धित अभिलेख पत्र **प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–5, पत्र सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–6, फोटो नाश प्रदर्श क–7, चालान लाश प्रदर्श क–8, नमूना सील प्रदर्श क–9** तैयार कर मृत्यु का कारण जानने के लिए मृतका की लाश का **पोस्टमार्टम** कराये जाने हेतु भेजा गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** प्राप्त की। विस्तृत विवेचना कर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता मीना देवी के विरूद्ध **आरोप पत्र प्रदर्श क–11** तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया।

6. दिनाँक–01.11.2025 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्ता श्रीमती मीना देवी के विरूद्ध **धारा–105 बी0एन0एस0** के अपराध हेतु आरोप विरचित किया गया। अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किये गये है जिनका सूची क्रम निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	**अभियोजन अभिलेख**	**प्रदर्श**
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क–1
2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
3	जी0डी0 मुकदमा कायमी की प्रति	प्रदर्श क–3
4	मृतका का पंचायतनामा	प्रदर्श क–4
5	पत्र प्रतिसार निरीक्षक	प्रदर्श क–5.
6.	पत्र सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–6
7.	फोटो नाश	प्रदर्श क–7
8.	चालान लाश	प्रदर्श क–8
9.	नमूना सील	प्रदर्श क–9
10.	नक्शानजरी	प्रदर्श क–10
11.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11
12.	शव–विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–12
13.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या	का0सं0–17ए / 3
14.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की विसरा आख्या	कां0सं0–22ए / 3

8. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है–

पी0डब्लू0 क्रमाँक	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
1	महेन्द्र कुमार	वादी मुकदमा
2	ऊषा देवी	तथ्य की साक्षी
3	योगेश कुमार	तथ्य का साक्षी
4	मंजू	तथ्य की साक्षी
5	कां0 अमित चौधरी	प्रथम सूचना, लेखक
6.	हरपाल सिंह	तथ्य का साक्षी
7.	चिकित्सक आशीष गुप्ता	शव–विच्छेदनकर्ता
8.	उप–निरीक्षक हरेन्द्र कुमार	पंचायतनामा कर्ता
9.	उप–निरीक्षक सुभम चौधरी	विवेचक

अभियोजन साक्ष्य–विश्लेषण

9. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार है–

अभियोजन साक्षी सं0–1 महेन्द्र कुमार वादी मुकदमा/अभियुक्ता का पति है, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतका चेमेली देवी मेरी दादी थी, जिनका दिनाँक–30.05.2025 को घर में पानी पर पैर फिसल जाने के कारण देहान्त हो गया था। मैं घटना के समय गांव में मौजूद नहीं था। सूचना पर मैं जब घर आया तो वहां पर मौजूद गांव वालों ने जैसा मुझे बताया था? उसी के आधार पर मैनें उनके बताये अनुसार तहरीर लिखकर थाने पर दे दी थी। मेरे सामने मेरी पत्नी अभियुक्ता मीना ने घटना वाले दिन से पहले अथवा घटना वाले दिन मेरी दादी चमेली देवी के साथ कोई हाथापाई या मारपीट नहीं की थी। पत्रावली पर मौजूद तहरीर कागज संख्या 4ए/4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने गांव वालों के कहने पर अपनी पत्नी मीना के खिलाफ लिखकर थाने पर दी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी और ना ही मेरी पत्नी अभियुक्ता हाजिर अदालत मीना देवी ने मेरी दादी को सिर पकड़कर दीवार में देकर मारा था। मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट गांव वालो के कहे अनुसार लिखवाई थी। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और साक्षी से अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं इन्टर पास है। वह जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देना अपराध है। मेरी पत्नी अभियुक्ता मीना कभी भी मेरे सामने मेरी दादी चमेली देवी के साथ मारपीट या कहा–सुनी नहीं की थी और ना ही कभी मुझसे किसी परिवार वाले अथवा दादी ने मुझसे इस संबंध में कोई शिकायत की। यह बात सही है कि मीना इसी मुकदमे में जेल में निरूद्ध है। मैने कई बार अभियुक्ता को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था और परिवार के लोगों ने भी कई बार प्रयास किये थे। इस संबंध में हम कप्तान साहब से मिले थे और मुकदमे के विवेचक से भी मिले थे। मेरा पुलिस ने घटना के संबंध में कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी को उसका बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने दरोगाजी को नहीं दिया था अगर दरोगाजी ने लिख दिया है तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैं दरोगाजी के साथ घटना स्थल पर नहीं गया था, क्योकि दरोगाजी मेरे पास नहीं आये थे। यह कहना सही है कि इस मुकदमे की अभियुक्ता मेरी पत्नी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्ता मेरी पत्नी है, इसलिए उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मेरी पत्नी ने ही मेरी दादी की दीवार मे सिर मारकर हत्या की

हो और आज मैं उसे बचाने की नीयत से या अपना घर परिवार बिगडने से बचाने की गरज से न्यायालय में सही बात न बता रहा हो।

अभियुक्ता की ओर से **<u>जिरह</u>** करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया गया है कि यह बात सही है कि मेरा पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया था। यह बात सही है कि मैं घटना के समय घर पर नहीं था। यह बात भी सही है कि मेरी पत्नी अभियुक्ता व मृतका चमेली देवी में कभी आपस में कोई विवाद नहीं होता था।

10. **<u>अभियोजन साक्षी सं0—2 ऊषा देवी,</u>** जो कि मृतका की पुत्रवधू है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतका श्रीमती चमेली देवी मेरी सास थी। वो हमसे अलग उसी मकान में रहती थी। वह जिस मकान वह रहती थी। वह मेरे घर से अलग था। दिनांक 30.05.2025 को रात वह मुझे पता चला कि उसकी सास चमेली देवी की मौत हो गयी है। मैं जब अगले दिन सुबह घर पहुंची तो मैने अपनी सास की लाश को कमरे मैं देखा था। चूँकि हमारा घर दूर था। इसलिए हम रात में उनके घर नहीं गये थे। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी थी और ना ही मेरे सामने हाजिर अदालत अभियुक्ता मीना देवी अन्य किसी ने मेरी सास के साथ कोई मारपीट या गाली गलौज की थी। मेरी सांस का अंतिम संस्कार अगले दिन शाम को हुआ था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और साक्षी से अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं कक्षा—6 पास हूँ। मैं जानती हूँ कि न्यायालय में झूँठा बयान देना अपराध है। मेरा घर मेरी सॉस के घर से लगभग 10 मी0 दूर है। मुझे आधी रात के बाद पता चला था कि मेरी सॉस की मौत हो गयी है। मुझे नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई थी। मेरा सॉस उस समय अकेली रहती थी। अभियुक्ता मीना मेरे जेठ की पुत्र वधु है। मेरे सामने कभी मीना और मेरी सॉस के बीच कोई कहन—सुनन या झगड़ा नही हुआ था और ना ही घटना वाले दिन इन दोनों के बीच मेरे सामने कोई कहना—सुनना अथवा मारपीट नही हुई थी। यह बात सही है कि मीना इसी मुकदमे मे जेल गयी थी और तभी से जेल में है। जेल जाने के बाद मैं मीना को छुडाने के लिए उसके परिवार वालों के साथ दो तीन बार थाने ओर कप्तान साहब के यहां गयी थी ओर पुलिस को मौखिक बताया था कि मीना निर्दोष है। यह बात सही है कि मीना मेरे जेठ की पुत्रवधु है। मैनें पुलिस को यह बयान नही दिया कि मीना व उसकी दादी सॉस का अक्सर झगड़ा होता रहता था, यदि लिख दिया गया है तो मै इसकी कोई वजह नही बता सकती। मैंने पुलिस को इस तरह को भी कोई बयान नही दिया है कि दिनांक 30.05.2025 को मीना व चमेली देवी मे कहा—सुनी हो रही थी। जिसकी आवाज घर से बाहर आ रही थी ओर भलाई—बुराई के कारण हम घर के अन्दर नही गये

थे। यह कहना गलत है कि मीना मेरे परिवार की बहू है, इसीलिए मैं उसे बचाने की नीयत से सही बात न्यायालय मे नही कह रही हूँ।

अभियुक्ता की ओर से **जिरह** करने पर कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरे सामने अभियुक्ता व मेरी सास के बीच कोई कहा–सुनी व मारपीट नही हुई थी। यह बात भी सही है कि मेरे सामने कभी अभियुक्ता मीना व मृतका चमेली देवी मे आपस मे कोई विवाद नही होता था।

11. **अभियोजन साक्षी सं0–3 योगेश कुमार,** अभियुक्ता का जेठ है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि अभियुक्ता मीना मेरे छोटे भाई की पत्नी है। घटना के समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, उस समय जिला सीकर कस्बा लामिया मे राजस्थान मे रहता था। घटना के बारे मुझे मेर गांव से फोन आने पर सूचना मिली थी, कि मेरी दादी श्रीमति चमेली देवी की मृत्यु हो गयी है। सूचना मिलने पर मैं अगले दिन गांव मे आया था। मैं नहीं बता सकता कि मेरी दादी की मृत्यु कैसे हुई थी। अभियुक्ता मीना देवी का कभी भी मेरी दादी से कोई झगड़ा होता ना तो मैंने देखा था और ना ही कभी सुना था। अभियुक्ता मीना ने मेरी दादी की मृत्यु नहीं की थी। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और साक्षी से अभियोजन को जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मै बी०एस०सी० पास हूँ। मुझे घटना की सूचना मेरे रिश्ते के दादा डा० ओमप्रकाश ने दी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरा भाई महेन्द्र प्राईवेट काम डिबाई मे करता था। मै लगभग 12 घण्टे में राजस्थान से अपने गांव धीमही आ गया था। मेरा दादी मेरे भाई महेन्द्र के साथ ही रहती थी, और अभियुक्ता मीना, महेन्द्र की पत्नी है। मेरी दादी का रहना–व खाना–पीना भी महेन्द्र के पास ही होता था। मेरी दादी व अभियुक्ता मीना के बीच कभी भी कहना–सुनना नही होता था। मुझे मेरी दादी का शव नही मिला था, मेरे आने से पहले ही उनका अन्तिम संस्कार हो गया था। यह बात सही है कि इस मुकदमे की रिपोर्ट मेरे सगे भाई ने लिखवाई थी। मुझे दूसरे दिन रिपोर्ट का पता चला था। चूँकि मै डयूटी चला गया था, इसीलिए मैनें अपने भाई से रिपोर्ट मीना के खिलाफ क्यो कराई है, ये मैने उससे नहीं पूछा था। मेरी दादी को शरीर पर चोटे गांव में आने पर लोगो ने बतायी थी। ये बात नहीं बतायी थी, कि चोटे कैसे आयी थी। मेरा मोबाईल नम्बर 9166791248 है। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। यह बात सही है कि मीना मेरी दादी की हत्या के मुकदमे में ही जेल में निरूद्ध है। मैनें मीना को छुडाने के लिए आज तक कोई प्रयास नही किया था, क्योंकि मैं विकलांग हू चलने फिरने

में असमर्थ हूँ। यह कहना गलत है कि मैं हाजिर अदालत अभियुक्ता मीना मेरे परिवार की बहू है, इसलिए उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय लामिया राजस्थान मे ना हूँ और आज जान—बूझकर अभियुक्ता को बचाने की गरज से घटना के समय अपने लामिया राजस्थान में होने की बात कह रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं आज किसी सामाजिक दवाब अथवा प्रलोभन के चलते सही बात न्यायालय में न कह रहा हूँ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **<u>जिरह</u>** करने पर अभियुक्ता में कथन किया है कि मै लामिया जिला सीकर राजस्थान से अपने गांव धीमही डिबाई महीने में एक दो चक्कर लगाता रहता था और रात को ही अपने गांव में ही रूकता था और मै खाना—पीना भी अपने भाई महेन्द्र व दादी के साथ करता था। मैं घटना के अगले दिन गांव में रात के नौ बजे आया था। मैं कभी भी अपनी दादी व अपनी भाभी मीना देवी के बीच कभी झगड़ा होते हुये नही देखा था, और ना ही मेरी दादी ने मुझसे ये शिकायत नही की थी. कि मेरे से कभी अभियुक्ता मीना कोई झगड़ा करती हो। यह बात सही है कि पुलिस ने मेरा कभी कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि मै न्यायालय में झूँठी गवाही नहीं दे रहा हूँ।

12. **<u>अभियोजन साक्षी संख्या—4 मंजू</u>** तथ्य की साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.05.2025 को मैं मृतका दादी चमेली के घर अपनी चाची अभियुक्ता हाजिर अदालत मीना को दावत का न्यौता देने गई थी। उस समय घर पर मेरे चाचा महेन्द्र व चाची मीना मौजूद थी। मैं इनको अपने घर उसी दिन शाम को दावत में आने के लिए कहकर आयी थी, दादी उस समय घर पर कमरे मे थी। मैं उनसे मिलकर नहीं आयी थी और ना ही मैनें चाची व चाचा से उनके बारे मे कुछ पूछा था। अगले दिन सुबह को जब में सोकर उठी तो पता चला की दादी चमेली खत्म हो गयी है। मुझे नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। घटना के समय कक्षा 5 में पढ़ती थी। अभियुक्ता मीना मेरी मम्मी की बुआ भी लगती है, इस नाते हम उन्हें नानी भी कहते है। मीना के पति महेन्द्र मेरे चाचा गांव के नाते लगते है। मैं बाबा की धूप की दावत देने चाचा महेन्द्र के यहाँ पर गयी थी। मुझे नहीं पता है कि मेरी चाची व मृतका दादी के बीच कोई झगड़ा होता हो। मैं दादी के कमरे में नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं दादी के कमरे मे जाने लगी, तो चाची अभियुक्ता मीना ने उनके कमरे में जाने से मुझे रोक दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मुझे ये जानकारी हो कि मेरी चाची व दादी के बीच अक्सर झगड़ा

रहता था। मुझसे पुलिस ने पूछताछ की थी, पुलिस ने पूछा था कि तुम वहां क्या करने गयी थी? यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को यह बयान दिया हो, कि जब में दादी के कमरे मे जाने लगी तो चाची मीना ने मना कर दिया था, चूँकि मैं दादी से मिलकर नहीं आयी थी, इसलिए यह भी नही बता सकती कि उनकी तबीयत खराब थी अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत अभियुक्ता मीना मेरी चाची/नानी है, इसलिए मैं उन्हें बचाने की गरज से सही बात नही बता रही हूँ। यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय में झूठा बयान दे रही हूँ।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–5 कां0 अमित चौधरी** प्रथम सूचना लेखक है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.06.2025 को मैं थाना डिबाई पर बतौर सी0सी थाना कार्यलेख पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा महेन्द्र पुत्र नत्थू निवासी गांव धीमही थाना डिबाई के द्वारा दी गयी हस्तलिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 372/2025 बनाम मीना देवी पत्नी महेन्द्र के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 105 बी0एन0एस0 तहरीर के शब्द व शब्द नकल कर थाना कम्प्यूटर पर पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा उसी दिन उसके द्वारा एक ही प्रोसेस मे जी0डी0 नम्बर 82 समय 22:25 बजे दिनांकित 01.06.2025 पर किया था। चिक एफ0आई0आर0 पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/1 लगायत 4ए/3 तथा जी0डी0 कागज संख्या 6ए के रूप में उसके सामने मौजूद है। जी0डी0 पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। **चिक एफ0आई0आर0 पर प्रदर्श क–2** तथा **जी0डी0 पर प्रदर्श क–3** डाले गये। चिक एक प्रति वादी मुकदमा को दे दी गयी थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं थाना डिबाई पर सितम्बर 2024 से अब तक तैनात हूँ और आज भी थाना कार्यलेख पर हूँ। मेरी ड्यूटी थाने पर उस समय रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक थी। वादी मुकदमा रिपोर्ट लिखवाने मेरे पास अकेला आया था। मुझे इस समय ध्यान नही है कि एफ०आई०आर० की प्रति देते समय वादी ने अपने हस्ताक्षर किये थे अथवा नही। यह बात सही है कि प्रदर्श क 2 कॉलम नम्बर 14 में शिकायत कर्ता के हस्ताक्षर के आगे का स्थान खाली है। इसी प्रकार कॉलम नम्बर 15 पर भी अदालत परीक्षण किये जाने का दिनांक व समय अंकित नही है। यह बात सही है कि प्रदर्श क 2 के कॉलम नम्बर 8 पर भी सूचना देरी से दर्ज कराने का कारण भी अंकित नही है। यह कहना गलत है कि मैंने वादी से साज कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभाव में आकर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया हो।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या–6 हरपाल सिंह** तथ्य का साक्षी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरा घर गांव धीमही वह महेन्द्र पुत्र

नत्थू सिंह के घर के पास है। घटना वाले दिन मैं गांव में नही था। जब वह गांव में लौटा तो मुझे पता चला कि महेन्द्र की दादी चमेली देवी जो काफी बुजुर्ग थी। रात में किसी समय फिसलकर गिरने से उनकी मौत हो गयी थी, उनकी अन्तिम यात्रा में अगले दिन शामिल हुआ था, मेरे सामने कभी भी मृतका चमेली देवी व हाजिर अदालत अभियुक्ता मीना देवी के बीच कभी कोई लडाई–झगड़ा हाथा–पाई या मारपीट नही हुई थी और ना ही कभी चमेली देवी ने मुझसे कोई लडाई–झगड़ा होने वाली बात बतायी थी। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं इन्टर पास हूँ। घटना की दिनांक मैं नही बता सकता, चूँकि मै गांव से बाहर था और अगले दिन लौटने पर मुझे चमेली दादी के मरने की खबर घर पर ही मिली थी। लगभग 9–10 महीने पुरानी बात है। मेरा घर मृतका चमेली देवी के घर से करीब 100 मी0 की दूरी पर है। मुझे जानकारी नही हैकि इस मुकदमे की रिपोर्ट किसने लिखवाई थी, लेकिन ये सुना था कि मुकदमे की रिपोर्ट महेन्द्र ने लिखवाई थी। यह बात सही है कि मुल्जिमा मेरी पडौसन है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमा मेरी पडौसन है, इसलिए मै आज उसे बचाने की गरज से न्यायालयमे सही बात न कह रहा हूँ। साक्षी को उसका बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया, यदि लिख लिया है तो मै उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं किसी सामाजिक दबाव अथवा प्रलोभन के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

<u>जिरह</u> अभियुक्ता यह बात सही है कि इस मुकदमे के वादी शराब पीने के आदि है और वह हर समय शराब के नशे में रहता है। यह कहना सही है मै मृतका चमेली के खत्म होने के अगले दिन गांव आया था।

15. **<u>अभियोजन साक्षी संख्या–7 चिकित्सीय आशीष गुप्ता</u>** मृतका का शव–विच्छेदनकर्ता है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31.05.2025 को मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में तैनात था। उस दिन मृतका श्रीमती चमेली देवी के शव को का0 सचिन कुमार व महिला का0 अमरवती थाना डिबाई पोस्टमार्टम हेतु मय 09 पुलिस प्रत्रों को लेकर आये थे। मृतका के शव की पहचान पुलिस कर्मियों के अलावा शव के साथ आये महेन्द्र कुमार ने की थी। शव पर पहचान के रूप मे ओम व सीता की रसोई के टैटू दाँये हाथ पर मौजूद थे। शव की ऊँचाई 152 सेमी0, माध्यम काठी का था, सारे शरीर पर मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद थी। मृतका के नाक व जमा हुआ खून

मौजूद था। दोनों आखों की भौहें ऊपरी भाग से नीली पड़ी हुई थी। शव पर परीक्षण के दौरान निम्नलिखित चोटे मौजूद थी।

चोट नं0–1 Contused swelling of size of 04 cm x 03 cm. present on right side <u>back of skull</u>.

चोट नं0–2 Multiple abraded contusions in an area of 06 cm x 05 cm present <u>on front of neck and left side of neck</u>.

चोट नं0–3 Contused swelling of size 05 cm x 04 cm present on right cheek.

शव की खोपड़ी को खोलने पर चोट नं0 1 के नीचे दॉयी ओर occipital and temporal region में रक्त का थक्का जमा हुआ था। ब्रेन में करीब 150 एम0एल0 जमा हुआ रक्त ब्रेन cavity में present था। गर्दन को खोलने पर echymosis मौजूद था। दोनों फेफड़े व लीवर, गॉल ब्लैड़र, प्लीहा, दोनो किड़नी congested थे। हृदय दॉयी ओर रक्त से भरा हुआ तथा बाँयी ओर खाली था। गर्भाशय खाली था। आमाश्य मे लगभग 100 एम0एल0 pasty fluid मौजूद था, जिसका विसरा संरक्षित किया गया था। <u>मेरी राय वह चुटैल की मृत्यु **_neurogenic shock due to anti-mortem head injury_**</u> से सम्भव थी। मेरी राय में मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से करीब 24 से 36 घण्टे के बीच रहा होगा। मेरे द्वारा पोस्टमार्टम आख्या कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार से बोल–बोल कर मौंके पर ही तैयार करायी थी, जिस पर अंत में मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। **पोस्टमार्टम आख्या** पत्रावली पर कागज संख्या 9ए / 1 लगायत 9ए / 3 के रूप वह मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। शव को पोस्टमार्टम के पश्चात साथ आये पुलिस कर्मियों के सुपुर्द कर दिया था। साक्षी को पंचायतनामा सम्बन्धित प्रपत्र दिखाये गये, जिन पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। मेरा विवेचक ने बयान अंकित किया था।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका के साथ पोस्टमार्टम हेतू उसका पोता महेन्द्र साथ था। उस समय मेरी मैंन पोस्टिंग सी०एच०सी० अगौता पर थी। यह बात सही है कि मृतका का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा ही किया गया था। मेरे इस समय ध्यान नही है कि मृतका का पोस्टमार्टम किस समय शुरू किया था और किस समय समाप्त किया था। सही समय मुझे ध्यान नहीं है। पोस्टमार्टम करते समय जब मैने मृतका के शव को देखा था, तो मृतका के शरीर पर कोई खुला हुआ

घाव नही था। चोट न 1, 2 व 3 करीब 15 से 20 फिट की ऊचाई से गिरने के कारण आना सम्भव है। यह कहना गलत है कि मैंनें वादी से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की हो। यह कहना भी गलत है कि मैं आज न्यायालय मे सही बात न कह रहा हूँ।

16. **अभियोजन साक्षी संख्या–8 उप–निरीक्षक हरेन्द्र कुमार** पंचायतनामा कर्ता है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31.05.2025 को मैं थाना डिबाई पर बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेश के अनुपालन में **मृतका श्रीमति चमेली देवी उम्र करीब 70 वर्ष** पत्नी डोरीलाल निवासी गांव धीमही थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही मौका गांव धीमही जाकर की थी। मेरे साथ का0 सचिन कुमार व पी0आर0डी0 अमरवती भी मौंके पर मौजूद थे। मौके पर पहुॅच कर वहां मौजूद लोगों में से मैंने पंचान नियुक्त कर, उन्हीं के समक्ष समस्त पंचायतनामे की कार्यवाही पूर्ण की थी। पंचायतनामे के साथ समस्त प्रपत्र जी0डी0 रवानगी, चालान नाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, फोटो नाश, नमूना सील (नमूना मोहर) मौंके पर ही राय पंचान अंकित कर अपनी राय अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार किये थे और शव को मौंके पर ही सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजने के लिए का0 सचिन व पी0आर0डी0 अमरवती के सुपुर्द किया था। पंचायतनामा सम्बन्धित समस्त प्रपत्र आज उसके सामने पत्रावली पर कागज 8ए/2 लगायत 8ए/9 के रूप मे मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। साक्षी ने **पंचायतनामा** को **प्रदर्श क–5**, **चिटठी सी0 एम0 ओ0** को **प्रदर्श क–6**, **फोटो नाश प्रदर्श क–7**, **चालान लाश प्रदर्श क–8**, **नमूना मोहर प्रदर्श क–9** को साबित किया है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि पंचायतनामे की कार्यवाही मेरे द्वारा किस समय शुरू की गयी थी और किस समय समाप्त की गयी थी, समय मेरे ध्यान नही है। पंचायतनामे की समस्त कार्यवाही करने में करीब डेढ़ घण्टे का समय लगा था। इस दौरान सभी परिवार वालो व मौजूद व्यक्तियों से मेरी वार्ता हो गयी थी। पंचायतनामे मे सूचना देने वाले के कथन के अनुसार रिपोर्ट की स्वरूप व मृत्यु का कारण कॉलम के आगे अंकित है कि मेरी दादी को किसी के द्वारा मार दिया गया है। यह बात सही है कि मारने वाले का किसी व्यक्ति विशेष का नाम नही बताया था। पंचायतनामे का करने का आदेश मुझे मौखिक रूप से दिया गया था। यह बात सही है कि इस मुकदमे के वादी महेन्द्र कुमार भी पंचायतनामे के गवाह है। यह कहना सही है कि राय पंचान के आधार पर मृतका चमेली देवी की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होना बताया था। यह कहना गलत है कि मैंने पंचायतनामे की कार्यवाही अपने उच्चाधिकारियो के प्रभाव में आकर सही तरीके से न की हो। यह

कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर पूरी कर दी गयी हो।

17. **अभियोजन साक्षी संख्या–9 उप–निरीक्षक सुभम चौधरी** विवेचक है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.06.2025 को वह थाना डिबाई पर बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 372 / 2025 धारा 105 बी0एन0एस0 बनाम मीना थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश के अनुपालन मे उसके सुपुर्द हुई थी। विवेचना ग्रहण कर उसी दिन मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा न 1 किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट बयान एफ0आई0आर0 लेखक बयान वादी महेन्द्र, कुमार के निरीक्षण घटनास्थल कर मौंके का नक्शा नजरी वादी की निशान देही पर तैयार किया था, जो पत्रावली पर कागज संख्या 7ए / 1 के रूप मे उसके लेख व हस्ताक्षर मे मौजूद है, नक्शा मौके के अनुसार सही है व खसरा दर्ज है जिस पर अंत में उसके हस्ताक्षर है, **नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–10** डाला गया तथा निरीक्षण घटना स्थल के पश्चात निरीक्षण घटनास्थल के समय मौके पर मौजूद लोगो वह श्रीमति उषा, श्रीमति राजेश्वरी लक्ष्मीकांत, हरपाल व कुमारी मंजू समस्त निवासी गण गांव धीमही के बयान अंकित किये गये। उसी दिन अभियुक्ता मीना देवी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया ओर बयान अभियुक्ता अंकित किये गये। दिनांक 05.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 2 किता किया गया। **पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट** का अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया गया। दिनांक 06.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 3 किता किया गया, जिसमें बयान पंचान महेन्द्र, गौरव, प्रेम सिंह, अशोक, के बयान अंकित किये गये। दिनांक 07.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 4 किता किया दिनांक 08.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 5 किता किया गया, जिसमें क्षैत्रीय ईकाई विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट एंव प्रमाण अर्न्तगत धारा 63(4)ग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन कर नकल सी0डी0 की गयी। दिनांक 09.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 6 किता गया, जिसमें मृतका का पोस्टमार्टम कराने वाली महिला पी0आर0डी0 अमरवती के बयान अंकित किये गये। दिनांक 10.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 7 किता किया गया, जिसमें फील्ड यूनिट कर्मियों एस0आई विकास वर्मा कां0 सचिन कुमार, हैड0 का0 कपिल कुमार के बयान अंकित किये गये। दिनांक 14.06.2025 को सी0डी0 का पर्चा न 9 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह योगेश के अंकित किये गये तथा अब–तक की विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता श्रीमति मीना देवी के विरूद्ध अपराध धारा 105 बी0एन0एस0 का अपराध बखूबी साबित पाते हुये आरोप पत्र संख्या 364 / 2025 नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। साक्षी ने **नक्शा नजरी** को बतौर **प्रदर्श क–10** एवं **आरोप पत्र** को बतौर **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनाँक–31.05.2025 की है। एफ0आई0आर0 दिनाँक–01.06.2025 को दर्ज हुई थी और पंचायतनामा भी दिनाँक–31.05.2025 को हुआ था। पंचायतनामा उप–निरीक्षक हरेन्द्र कुमार द्वारा भरा गया था। **घटना स्थल का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर किया गया था। घटना स्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा किस दिनांक को किया गया था, मेरे इस समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल वाले कमरे का मैंने मुआयना किया था, तो घटना वाले कमरे की दीवार पर ब्लड लगा हुआ था।** ये कमरे की कौन सी दीवार पर लगा हुआ था, इस समय मेरे ध्यान नहीं है। मैंने अपने नक्शे में दीवार पर खून लगा हुआ नहीं दर्शाया था। घटना स्थल वाले कमरे का गेट किस दिशा की ओर है मेरे इस समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह बात सही है कि घनी आबादी होने के कारण घटना स्थल पर यदि कोई चीख पुकार वाली आवाज हुई होगी तो पडोसी ने सुनी होगी। मृतका के पडोस में लगा हुआ मकान मृतका के सगे जेठ का है, मुझे जेठ का नाम इस समय ध्यान नहीं हैं। विवेचना मुझे दिनाँक–02.06.2025 को सुपुर्द हुई थी। **मैं उसी दिन घटना स्थल पर पहुँच गया था। उस दिन मैंने काफी लोगों से पूछताछ की थी, उनके नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि ऐसे मुझे कोई साक्षी मौके पर नहीं मिला, जिसने घटना होते हुए देखा हो। मैंने इस घटना से सम्बन्धित एक डण्डा बरामद किया था। डण्डे की कोई फर्द तैयार नहीं की थी। इसलिए पत्रावली पर मौजूद नहीं है। दीवार पर लगा हुआ खून काले रंग का नही था, लाल रंग का ही था। यह बात सही है कि दीवार पर लगा खून काले रगं का था या लाल रंग का मेरे इस समय ध्यान नहीं है, जो खून दीवार पर लगा हुआ था, वो मैंने खून भी देखा था और वादी द्वारा भी दिखाया गया था।** मेरे द्वारा पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन किया था, मृतका के खूली चोट हाथ, सिर पर थी।

प्रश्नः– क्या आप पी0एम0 रिपोर्ट को देखकर बता सकते हो कि मृतका के खूली चोट ऐसी कौन सी थी, जिसमें से खून निकला हो?

उत्तरः–मृतका की पी0एम0 रिपोर्ट देखकर साक्षी ने कहा कि मृतका के सिर में खुली चोट थी, परन्तु मृतका के सिर में कितनी खुली चोट थी, ये डॉक्टर द्वज्ञरा पी0एम0 रिपोर्ट में अंकित किया गया है।

यह कहना गलत है कि मैंने पूरी विवेचना थाने पर बैठकर की हो, मैं मौके पर न गया हूँ तथा मैंने पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन न किया हो। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

18. अभियोजन की ओर से उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की याचना पर अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया

गया और अभियुक्ता के बयान **धारा–313 दं0प्र0सं0 (351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)** अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्ता द्वारा अभियोजन कथानक को झूँठा व गलत बताया गया और कथन किया कि उसे झूँठा फँसाया गया है, वह निर्दोष है।

19. बचाव पक्ष को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु उनकी ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्ष की याचना पर वाद में साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा वाद बहस हेतु नियत किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

<u>बहस विश्लेषण</u>

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से पेश किये गये गवाहों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। तथ्य के साक्षीगण पक्षद्रोही साक्षी के रूप में परीक्षित हुए है। किसी भी साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखा है। मृतका की हत्या किसने की यह भी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है। पत्रावली पर अभियुक्ता के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, विवेचक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता को मुल्जिम बनाया गया है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या व गवाहों के बयान में भिन्नता है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मृतका का पंचायतनामा तथा शव विच्छेदन किये जाने के उपरान्त सोच समझकर अभियुक्ता के विरूद्ध दुर्भावना से मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्ता जेल में निरूद्ध है, कोई बरामदगी साबित नहीं है। घटना को कारित होते हुए किसी ने नहीं देखा है। अभियुक्ता कथित घटना के समय मौके पर नहीं थी। अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया जा सकें। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

21. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि–जिस दिन की घटना है, उस दिन अभियुक्ता मृतका के साथ घर में स्थित थी। अभियोजन के सभी साक्षीगण के बयानों में यह तथ्य साबित पाया गया है। अभियुक्ता व मृतका के मध्य विवाद होता रहता था। अभियुक्ता अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव की थी उसका अपने गुस्से पर कोई नियन्त्रण नहीं थी, उसके द्वारा अपनी दादी (सास) को गुस्से में आकर मृतका के साथ डण्डे से मारपीट कर चोटें कारित की गई तथा वृद्ध मृतका सिर को पकड़कर दीवार में मारकर चोटें पहुँचाई गई, जिसके कारण मृतका की मृत्यु हो गई। कथित डण्डा मौके पर बरामद हुआ है। मृतका, अभियुक्ता की रिश्ते में दादी लगती है और अभियुक्ता को घटना के सभी तथ्य एवं परिस्थितियां ज्ञात थी। अभियुक्ता यह जानती थी कि मृतका एक वृद्ध

महिला है। अभियुक्ता के विरूद्ध वादी मुकदमा, जो कि अभियुक्ता का पति है, के द्वारा मृतका की गैर इरादतन हत्या कारित करने के सम्बन्ध में तहरीर लिखाई गई है। पति के द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या जैसा मुकदमा तभी लिखाया जाता है, जबकि उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई हो। पत्रावली पर मृतका के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से मृतका का पंचायतनामा एवं शव–विच्छेदन आख्या मूल रूप में संलग्न है, जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटें पायी गई है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से 09 साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है, जिनके बयान से घटना का समर्थन होता है। पत्रावली पर अभियुक्ता के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्ता को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

22. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

23. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध नामित पंजीकृत हुआ है। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। थाना डिबाई, जिला–बुलन्दशहर पर वादी द्वारा तहरीर प्रस्तुत करते हुए यह सूचना दी गई, जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर निम्न प्रकार है– '

''मैं महेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम धीमरी थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी मीना और मेरी दादी चमेली देवी और मेरा एक भाई रहते है। मेरी दादी चमेली देवी के साथ में मेरी पत्नी मीना की कहासुनी रहती थी तथा मेरी पत्नी मीना द्वारा मेरी दादी चमेली के साथ में पहले भी कई बार मारपीट की गई थी। मुझे अब भी यह लग रहा है कि मेरी पत्नी मीना द्वारा मेरी दादी चमेली देवी को गुस्से में आकर अचानक से मेरी दादी का सर पटक कर दीवार में मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ''

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से पेश किये गये गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्ता द्वारा चमेली देवी के चोटें कारित किया जाना नहीं बताया गया है। मृतका को जो चोटें आयी है वह गिरने के कारण आने से आयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना स्थल से कोई बरामदगी नहीं की गई है। गवाहों के बयानों में विरोधाभाष है। घटना का कोई उद्देश्य भी साबित नहीं है। धारा–105 बी0एन0एस0 का कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्ता द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है।

अभियोजन के अन्य गवाहों के आधार पर भी कोई मामला अभियुक्ता के विरुद्ध नहीं बनता है।

25. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता के द्वारा खण्डन में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा वादी की दादी का सिर पकड़कर दीवार में मारकर चोटें पहुंचायी हैं, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। पंचायतनामें में मृतका के शरीर पर चोटें पायी गई है। मृतका के शव–विच्छेदन आख्या में मृतका के सिर में पीछे की ओर चोटे पायी गई है। चोटें गम्भीर प्रकृति की है। अभियुक्ता के पति द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियुक्ता घटना के समय मौके पर मौजूद थी। अभियुक्ता का अपराध अभियोजन साक्ष्य द्वारा सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्ता को अधिक–से–अधिक सजा से दण्डित किया जाए।

26. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मुकदमा वादी मुकदमा की तहरीर कागज संख्या–4क/4 प्रदर्श क–01 के आधार पर अभियुक्ता मीना देवी के विरुद्ध नामजद पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–105 भारतीय न्याय संहिता अभियुक्ता के विरुद्ध प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल 09 साक्षीगण प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण ने बयानों में यह कथन किया है कि –

<u>पी0डब्लू0–1</u> ने कथन किया है कि <u>मृतका चेमेली देवी मेरी दादी थी, जिनका दिनाँक–30.05.2025 को घर में पानी पर पैर फिसल जाने के कारण देहान्त हो गया था। मैं घटना के समय गांव में मौजूद नहीं था। सूचना पर मैं जब घर आया तो वहां पर मौजूद गांव वालों ने जैसा मुझे बताया था? उसी के आधार पर मैनें उनके बताये अनुसार तहरीर लिखकर थाने पर दे दी थी</u>।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि इस मुकदमे की अभियुक्ता मेरी पत्नी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्ता मेरी पत्नी है, इसलिए उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ।**

<u>पी0डब्लू0–2</u> ने कथन किया है कि मृतका श्रीमती चमेली देवी मेरी सास थी। वो हमसे अलग उसी मकान में रहती थी। वह जिस मकान वह रहती थी। वह मेरे घ ार से अलग था। दिनांक 30.05.2025 को रात वह मुझे पता चला कि उसकी सास चमेली देवी की मौत हो गयी है। मैं जब अगले दिन सुबह घर पहुंची तो मैने अपनी सास की लाश को कमरे मैं देखा था। चूँकि हमारा घर दूर था। इसलिए हम रात में उनके घर नहीं गये थे। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी थी।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है मुझे आधी रात के बाद पता चला था कि मेरी सॉस की मौत हो गयी है। मुझे नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई थी। मेरा सॉस उस समय अकेली रहती थी। अभियुक्ता मीना मेरे जेठ की पुत्र वधू है।

अभियुक्ता की ओर से **जिरह** करने पर कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरे सामने अभियुक्ता व मेरी सास के बीच कोई कहा–सुनी व मारपीट नही हुई थी। यह बात भी सही है कि मेरे सामने कभी अभियुक्ता मीना व मृतका चमेली देवी मे आपस मे कोई विवाद नहीं होता था।

पी0डब्लू0–3 ने कथन किया है कि अभियुक्ता मीना मेरे छोटे भाई की पत्नी है। घटना के समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, उस समय जिला सीकर कस्बा लामिया मे राजस्थान मे रहता था। घटना के बारे मुझे मेर गांव से फोन आने पर सूचना मिली थी, कि मेरी दादी श्रीमति चमेली देवी की मृत्यु हो गयी है। सूचना मिलने पर मैं अगले दिन गांव मे आया था। मैं नहीं बता सकता कि मेरी दादी की मृत्यु कैसे हुई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है **मेरा दादी मेरे भाई महेन्द्र के साथ ही रहती थी, और अभियुक्ता मीना, महेन्द्र की पत्नी है। मेरी दादी का रहना–व खाना–पीना भी महेन्द्र के पास ही होता था।**

पी0डब्लू0–4 ने कथन किया है कि दिनांक 30.05.2025 को मैं मृतका दादी चमेली के घर अपनी चाची अभियुक्ता हाजिर अदालत मीना को दावत का न्यौता देने गई थी। उस समय घर पर मेरे चाचा महेन्द्र व चाची मीना मौजूद थी। मैं इनको अपने घर उसी दिन शाम को दावत में आने के लिए कहकर आयी थी, दादी उस समय घर पर कमरे मे थी। मैं उनसे मिलकर नहीं आयी थी और ना ही मैनें चाची व चाचा से उनके बारे मे कुछ पूछा था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मीना के पति महेन्द्र मेरे चाचा गांव के नाते लगते है। मैं बाबा की धूप की दावत देने चाचा महेन्द्र के यहाँ पर गयी थी। मुझे नहीं पता है कि मेरी चाची व मृतका दादी के बीच कोई झगडा होता हो। मैं दादी के कमरे में नहीं गयी थी।

पी0डब्लू0–6 ने कथन किया है कि घटना वाले दिन मैं गांव में नही था। जब वह गांव में लौटा तो मुझे पता चला कि महेन्द्र की दादी चमेली देवी जो काफी बुजुर्ग थी। रात में किसी समय फिसलकर गिरने से उनकी मौत हो गयी थी, उनकी अन्तिम यात्रा में अगले दिन शामिल हुआ था।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि चूँकि मै गांव से बाहर था और अगले दिन लौटने पर मुझे चमेली दादी के मरने की खबर घर पर ही मिली थी। लगभग 9–10 महीने पुरानी बात है।

<u>पी0डब्लू0–7</u> ने कथन किया है कि दिनांक 31.05.2025 को मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में तैनात था। उस दिन **मृतका श्रीमती चमेली देवी** के शव को का0 सचिन कुमार व महिला का0 अमरवती थाना डिबाई पोस्टमार्टम हेतु मय 09 पुलिस प्रत्रों को लेकर आये थे। **मृतका के शव की पहचान पुलिस कर्मियों के अलावा शव के साथ आये महेन्द्र कुमार ने की थी। शव पर पहचान के रूप मे ओम व सीता की रसोई के टैटू दाँये हाथ पर मौजूद थे। शव की ऊँचाई 152 सेमी0, माध्यम काठी का था, सारे शरीर पर मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद थी। मृतका के नाक व जमा हुआ खून मौजूद था। दोनों आखों की भौहें ऊपरी भाग से नीली पड़ी हुई थी।** शव पर परीक्षण के दौरान निम्नलिखित चोटे मौजूद थी।

चोट नं0 1– Contused swelling of size of 04 cm x 03 cm. present on right side <u>back of skull</u>.

चोट नं0 2– Multiple abraded contusions in an area of 06 cm x 05 cm present <u>on front of neck and left side of neck</u>.

चोट नं0 3– Contused swelling of size 05 cm x 04 cm present on <u>right cheek</u>.

शव की खोपड़ी को खोलने पर चोट नं0 1 के नीचे दॉयी ओर occipital and temporal region में रक्त का थक्का जमा हुआ था। ब्रेन में करीब 150 एम0एल0 जमा हुआ रक्त ब्रेन cavity में present था। गर्दन को खोलने पर echymosis मौजूद था। दोनों फेफड़े व लीवर, गॉल ब्लैड़र, प्लीहा, दोनो किड़नी congested थे। ह्रदय दॉयी ओर रक्त से भरा हुआ तथा बाँयी ओर खाली था। गर्भाशय खाली था। आमाश्य मे लगभग 100 एम0एल0 pasty fluid मौजूद था, जिसका विसरा संरक्षित किया गया था। <u>मेरी राय वह चुटैल की मृत्यु **_neurogenic shock due to anti-mortem head injury_**</u> से सम्भव थी। मेरी राय में मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से करीब 24 से 36 घण्टे के बीच रहा होगा। मेरे द्वारा पोस्टमार्टम आख्या कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार से बोल–बोल कर मौंके पर ही तैयार करायी थी, जिस पर अंत में मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। **पोस्टमार्टम आख्या** पत्रावली पर कागज संख्या 9ए / 1 लगायत 9ए / 3 के रूप वह मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। शव को पोस्टमार्टम के पश्चात साथ आये पुलिस कर्मियों के सुपुर्द कर दिया था। साक्षी को पंचायतनामा सम्बन्धित प्रपत्र दिखाये गये, जिन

पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। मेरा विवेचक ने बयान अंकित किया था।

<u>पी0डब्लू0–9</u> ने कथन किया है कि मेरे द्वारा वादी महेन्द्र, कुमार के निरीक्षण घटनास्थल कर मौंके का नक्शा नजरी वादी की निशान देही पर तैयार किया था। निरीक्षण घटना स्थल के पश्चात निरीक्षण घटनास्थल के समय मौके पर मौजूद लोगो में से श्रीमति उषा, श्रीमति राजेश्वरी लक्ष्मीकांत, हरपाल व कुमारी मंजू समस्त निवासी गण गांव धीमही के बयान अंकित किये गये। उसी दिन अभियुक्ता मीना देवी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया ओर बयान अभियुक्ता अंकित किये गये।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि **घटना स्थल का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर किया गया था। घटना स्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा किस दिनांक को किया गया था, मेरे इस समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल वाले कमरे का मैंने मुआयना किया था, तो घटना वाले कमरे की दीवार पर ब्लड लगा हुआ था। मैं उसी दिन घटना स्थल पर पहुँच गया था। उस दिन मैंने काफी लोगों से पूछताछ की थी, उनके नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि ऐसे मुझे कोई साक्षी मौके पर नहीं मिला, जिसने घटना होते हुए देखा हो। मैंने इस घटना से सम्बन्धित एक डण्डा बरामद किया था। डण्डे की कोई फर्द तैयार नहीं की थी। इसलिए पत्रावली पर मौजूद नहीं है। दीवार पर लगा हुआ खून काले रंग का नही था, लाल रंग का ही था। यह बात सही है कि दीवार पर लगा खून काले रगं का था या लाल रंग का मेरे इस समय ध्यान नहीं है, जो खून दीवार पर लगा हुआ था, वो मैंने खून भी देखा था और वादी द्वारा भी दिखाया गया था।**

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका एक वृद्ध, कमजोर महिला थी और कथित घटना की दिनाँक को मृतका चमेली देवी की मृत्यु हुई थी और वादी मुकदमा जो कि अभियुक्ता का पति है, ने अपनी पत्नी के विरूद्ध मृतका की गैर इरादतन हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कराया था तथा जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये है वह सभी मृतका अथवा वादी मुकदमा के परिवारजन अथवा रिश्तेदार है, जिनके द्वारा न्यायालय में अपने बयान से अभियुक्ता को बचाने का प्रयास किया गया है। उक्त साक्षीगण में से किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि अभियुक्ता के विरूद्ध गलती से मुकदमा दर्ज हो गया हो। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतका वादी मुकदमा महेन्द्र सिंह के साथ उसके घर में रहती थी अर्थात मृतका वादी मुकदमा की पत्नी / अभियुक्ता के साथ एक ही घर में रहती थी तथा मृतका की मृत्यु के दिन व समय अभियुक्ता, मृतका के साथ घर में ही थी।

27. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को अब यह देखना है कि मृतका की मृत्यु स्वयं फिसलने के कारण आयी हुई चोटों के परिणाम स्वरूप हुई है या मृतका को जो चोटें आयी हैं वह अभियुक्ता द्वारा पहुँचाई गई है?

मृतका का पंचायतनामा
(Panchnama of Deceased)

पत्रावली पर मृतका चमेली देवी पत्नी डोरीलाल का पंचायतनामा व शव–विच्छेदन आख्या मूल रूप में उपलब्ध है। पंचायतनामा प्रदर्श क–4 दिनाँक–31.05.2025 को भरा गया है, जिसके अनुसार मृतका के शव की स्थिति निम्नानुसार थी–

दशा शव–मृतका का शव घर के सामने खडन्जे पर एक कपड़े की चादर पर चित्त अवस्था में रखा है, सिर जानिब पूर्व, पैर जानिब–पश्चिम दोनों हाथ पहलू में है।

हुलिया शव–मृतका के मुँह व नाक पर खून का थक्का जमा हुआ है। मजबूत जिस्म, आँख, कान, नाक कद औसत, लम्बाई करीब 5 फिट।

कपडे शव–मृतका पीले रंग की फुल बाजू शर्ट पहने है व नीले रंग का दुपट्टा है व लाल रंग का पेटीकोट पहने है।

चोट शव–**दोनों हाथों में चोट के निशान है, पेट पर चोट के निशान है, दोनों पैरों के तलवों पर चोट के निशान है। मुँह व नाक पर खून का थक्का लगा हुआ है।**

राय पंचान–हम पंचों की राय में चमेली देवी पत्नी डोरी लाल की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों से होना प्रतीत होती है।

शव–विच्छेदन आख्या
(Post Mortem Examination Report)

मृतका के शव–विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–4ए में मृतक का निम्न चोटे आना दर्शित है–

चोट नं0–1 Contused swelling of size of 04 cm x 03 cm. present on right side back of skull.

चोट नं0–2 Multiple abraded contusions in an area of 06 cm x 05 cm present on front of neck and left side of neck.

चोट नं0–3 Contused swelling of size 05 cm x 04 cm present on right cheek.

चुटैल की मृत्यु ***neurogenic shock due to anti-mortem head injury*** से सम्भव थी। डॉक्टर की राय में मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से करीब 24 से 36 घण्टे के बीच रहा होगा।

इस प्रकार, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतका के सिर के पीछे गम्भीर चोट आयी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु आयी है।

28. जहाँ तक अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के पक्षद्रोही होने का प्रश्न है तो गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता, जहाँ पर चिकित्सीय आख्या सशक्त एवं सम्पुष्ट कारक साक्ष्य है, वहाँ मौखिक साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्यांकन चिकित्सीय साक्ष्य के सापेक्ष कमजोर होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि—

सरवन नरायन तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025(6) ADJ 683 (DB) मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद— के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया अभियुक्त की दोषसिद्धी का निर्णय न्यायोचित माना और धारा—106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत तथ्यों को साबित मानते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रंखला पूर्ण पायी गई। विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धी के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा की गई अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई और निम्नलिखित वादों को उद्धरत करते हुए यह अवधारित किया गया है कि–*Before proceeding further, it would be appropriate to take note of judgment of Krishna Mochi and others v. State of Bihar, (2002) 6 SCC 81, wherein Hon'ble Apex Court in paragraph 32 has held as under:*

> *32. Thus, in a criminal trial a Prosecutor is faced with so many odds. The Court while appreciating the evidence should not lose sight of these realities of life and can-not afford to take an unrealistic approach by sitting in an ivory tower. I find that in recent times the tendency to acquit an accused easily is galloping fast. It is very easy to pass an order of acquittal on the basis of minor points raised in the case by a short judgment so as to achieve the yard stick of disposal. Some discrepancy is bound to be there in each and every case which should not weigh with the Court so long it does not materially affect the prosecution case. In case discrepancies pointed out are in the realm of pebbles, the*

*Court should tread upon it, but if the same are boulders, the Court should not make an attempt to jump over the same. These days when crime is looming large and humanity is suffering and the society is so much affected thereby, duties and responsi-bilities of the Courts have become much more. Now the maxim "__**let hundred guilty persons be acquitted, but not a single inno-cent be convicted**__**" is, in practice, changing the world over and Courts have been com-pelled to accept that "society suffers by wrong convictions and it equally suffers by wrong acquittals"**, I find that this Court in recent times has conscientiously taken notice of these facts from time to time. In the case Inder Singh v. State (Delhi Admn.) [(1978) 4 SCC 161: 1978 SCC (Cri) 564: AIR 1978 SC 1091] Krishna Iyer, J. laid down that: (SCC p. 162, para 2) "Proof beyond reason-able doubt is a guideline, not a fetish and guilty man cannot get away with it because truth suffers some infirmity when projected through human processes." **In the case of State of U.P. v. Anil Singh [1988 Supp SCC 686 1989 SCC (Cri) 48 AIR 1988 SC 1998] it was held that a Judge does not pre-side over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape.** One is as important as the other Both are public duties which the Judge has to per-form In the case of <u>State of WB v. Orilal Jaiswal [(1994)</u> 1 SCC 73 1994 SCC (Cri) 107] it was held that justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let a hundred guilty escape than punish an innocent Letting the guilty escape is not doing jus tice, according to law. In the case of <u>Mohan Singh v. State of M.P. [(1999) 2 SCC 428: 1999</u> SCC (Cri) 261: (1999) 1 SCR 276] it was held that the Courts have been removing __**chaff from the grain**__. It has to disperse the suspicious cloud and dust out the smear of dust as all these things clog the very truth. So long chaff, cloud and dust remain, the criminals are clothed with this protective layer to receive the benefit of doubt. So it is a solemn duty of the Courts, not to merely conclude and leave the case the moment suspicions are created. It is the onerous duty of the Court, within permissible limit to find out the truth. It means, on one hand no innocent man should be punished but on the other hand to see no person committing an offence should get scotfree. If in spite of such effort suspicion is not*

dissolved, it remains writ at large, benefit of doubt has to be credited to the accused."

18. It would also be appropriate to quote paragraphs 153, 154, 159, 163, 164 and 165 of landmark judgement of Hon'ble Apex Court rendered in ***Sharad Birdichand Sarada, (1984) 4 SCC 116****. This judgment has been relied on in Jose.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विश्वसनीयता का निर्धारण करते हुए निम्न विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया गया है कि–

It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examined him*. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.'*

In the case of State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra, [(1996) 10 SCC 360] -

Hon'ble Court held that the evidence of a ***hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon.*** *A similar view has been reiterated by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543], Gagan Kanojia v. State of Punjab, (2006) 13 SCC 516], Radha Mohan Singh v. State of U.P., (2006) 2 SCC 450], Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh, (2007) 13 SCC 360] and Subbu Singh v. State, (2009) 6 SCC 462.*

Thus, the law can be summarised to the effect that the ***evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.***

अर्थात यदि अभियोजन के साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं और वे अभियोजन कथानक से सम्बद्ध है तो अभियेाजन साक्षी अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्यों के भाग तक ग्राह्य होगें और उन्हें अभियोजन या प्रतिरक्षा में प्रयुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह भी अवधारित किया गया है कि–

It is well-settled principle of law that only because the witnesses are not independent ones may not be itself be

a ground to discard the prosecution case. If the prosecution case has been supported by the witnesses and no cogent reason has been shown to discredit their statements, a judgment of conviction can certainly be cased there upon.

There is no hard and fast rule that family members can never be true witnesses to the occurrence and that they will always depose falsely before the Court. It will always depend upon the facts and circumstances of a given case. In the case of Jayabalan v. U.T. of Pondicherry [(2011) 1 SCC 199], this Court had occasion to consider whether the evidence of interested witnesses can be relied upon. The Court took the view that a pedantic approach cannot be applied while dealing with the evidence of an interested witness. Such evidence cannot be ignored or thrown out solely because it comes from a person closely related to the victim.

29- इस प्रकार, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता की उपस्थिति घटना स्थल पर होना और मृतका का अभियुक्ता की सगी दादी सास होना और अभियुक्ता के पति द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्ता के विरूद्ध नामजद दर्ज कराया जाना यह साबित करता है कि घटना कारित करने में अभियुक्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति संलिप्त नहीं है। यदि अन्य कोई और व्यक्ति संलिप्त था तो अभियुक्ता धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के तहत विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्ता पर था कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी और उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है।

30. धारा–105 भारतीय न्याय संहिता में यह उपबन्धित है कि–

<u>हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड</u>–

"जो कोई, ऐसा आपराधिक मानव वध करता है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से कया जाता है, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी हो, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारिता करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से. जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जमाने से दण्डित किया जाएगा।''

<u>अपराध का वर्गीकरण</u>

भाग 1: *दण्ड–आजीवन कारावास से, या कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना– संज्ञेय अजमानतीय–सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय–अशमनीय।*

भाग 2: *दण्ड–10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना संज्ञेय अजमानतीय–सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय– अशमनीय।*

इस प्रकार धारा–105 बी0एन0एस0 आपराधिक मानव के सम्बन्ध में दो प्रकार के दण्ड का प्रावधान प्रस्तुत करती है – दण्ड की मात्रा मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसे शारीरिक उपहति कारित करने के आशय, जिसकी मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है या इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु होनी सम्भाव्य है, पर निर्भर करती है।

31. **<u>नन्हे आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 Crl. App. No 2577/2007 उच्च न्यायालय इलाहाबाद</u>** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रतनलाल बनाम पंजाब राज्य AIR 1965 उच्चतम न्यायालय 435 तथा वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य ((1981) 1 SCC 447) एवं महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनन्द ((2004) 7 SCC 659) के वादों को उद्धृत करते हुये यह अवधारित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन पर्याप्त था और तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को इंकार नहीं किया जा सकता। जहाँ चोटें गंभीर प्रकृति की हो, वहाँ अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन पर्याप्त है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त को की गई दोषसिद्धी के निर्णय को सही पाते हुये अभियुक्त को परिवीक्षाकाल अधिनियम धारा–4 का लाभ देते हुए सद्आचारण और शान्ति बनाये रखने के लिये रिहा करते हुए आंशिक अपील स्वीकार की गई और माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गयी दोषसिद्धी के निर्णय को सही पाया गया।

32. **<u>जाफर उर्फ मुन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) CrLJ 264 AIR Online MP 640</u>** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जहाँ अचानक विवाद होता है और घटना में मार–पीट कर गंभीर चोटें आयी है, वहाँ अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन घातक चोटों के आने तक पर्याप्त है, अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन को धारा–304–I भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषी पाते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को सही पाया गया।

33. **<u>दिनेश दास बनाम बिहार राज्य (2026) CrLJ 209 AIR Online 2025 PAT. 882</u>** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हुए मृतक की चोटों की गंभीरता के समर्थन

में प्रस्तुत चिकित्सा आख्या को सम्पुष्ट कारक पाते हुए यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य एक ठोस एंव विश्वसनीय साक्ष्य होता है, जहाँ चिकित्सा आख्या प्रस्तुत की गई है और उसमें चोटें गंभीर प्रकृति की है, वहाँ अभियोजन कथानक विश्वसनीय और सम्पुष्ट कारक है। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि को सही पाया गया और प्रस्तुत अपील को निरस्त करते हुए दण्डादेश न्यायोचित माना।

34. **<u>अजय कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025(131) ए0सी0सी0 260 (एस0सी0)</u>** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय सही पाते हुए आँशिक अपील स्वीकार की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि घटना से पहले जो कुछ भी हुआ, उसे किसी भी गवाह ने नहीं देखा, किन्तु विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने कथानक को नकार दिया। घटना के समय अपीलकर्ता और मृतक दोनों 20–21 वर्ष की आयु के युवक थे और बी0एस0सी0 के छात्र थे। गवाहों के साक्ष्य से यह साबित पाया गया कि दोनों के मध्य सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध थे और मृतक को अपनी पढ़ाई से सम्बन्धित कोई भी समस्या होने पर वह अभियुक्त से ही सलाह लेता था। अभियुक्त मृतक की हत्या करने से पूर्व नियोजित इरादे से आया था, यह स्पष्ट नहीं था। किसी कारणवश अभियुक्त और मृतक के बीच कहा–सुनी होने और अचानक हुए झगडे के आवेश में आकर अभियुक्त द्वारा मृतक पर हमला किया गया, जिसको इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक हुई झड़प के कारण हमला किया गया। इस सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा–302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा–304 के भाग–प्रथम के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषी माना गया, तदनुसार अभियुक्त की अपील आँशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आदेश को न्यायोचित माना।

35. **<u>श्रीमती सीमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2026(135) ए0सी0सी0 411 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद)</u>** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिधारित किया गया है कि मृतक अभियुक्ता का पति था, जिसका शव मृतका के पास उसके घर से बरामद किया गया। सह–आरोपी के बयान के आधार पर आलाकत्ल अभियुक्ता के घर से बरामद किया गया था। अभियुक्ता धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यह साबित करने में असफल रही कि मृतक के शव को उसके घर कैसे दफनाया गया। घटना के मूलभूत तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध की ओर इंगित करते थे। विचारण

न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को कथित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया, जिसके विरूद्ध अभियुक्ता की ओर से की गई अपील को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरस्त करते हुए विचारण का दण्डादेश न्यायोचित माना और अपील निरस्त की गई।

36. प्रस्तुत प्रकरण में मृतका और अभियुक्ता दोनों साथ–साथ रहते थे और दोनों के सामाजिक सम्बन्ध ददिया सास व बहू के रूप में थे। दोनों एक ही परिवार में संयुक्त रूप से रहकर जीवन यापन कर रही थी और मृतका वृद्ध थी तथा अभियुक्ता नवयुवती थी दोनों के मध्य आयु के दृष्टिगत रखते हुए विचारों की मत भिन्नता होना स्वाभाविक था। प्रायः यह भी देखने को पाया जाता है कि हमारे समाज में सास और बहू के मध्य अधिकांशतः वैचारिक मत–भिन्नता पायी जाती है, जिस कारण उनमें प्रतिदिन वैमनस्यपूर्ण कहा–सुनी होती रहती है। इस मामले में भी चूँकि मृतका और अभियुक्ता दोनों ही महिलायें थी और एक साथ रहती थी। अतः यह स्वाभाविक है कि दोनों के मध्य मत–भिन्नता के कारण वाद–विवाद होता रहा होगा। यह घटना एक दिन के आकस्मिक विवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि लम्बे समय से चलने वाले मत–भिन्नता के कारण वाद–विवाद का परिणाम रही है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतका वृद्ध थी और अभियुक्ता नवयुवती थी, दोनों के मध्य वैमनस्यपूर्ण विवाद के कारण अभियुक्ता ने पहले गुस्से में आकर मृतका को डण्डें से मारा और उसके उपरान्त उसका सिर पकड़कर दीवार में मार दिया, जिससे मृतका गम्भीर रूप से घायल होकर घटना के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके खण्डन में अभियुक्ता यह स्पष्ट करने में असफल रही कि मृतका को चोट किस प्रकार आयीं थी।

37. यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विश्लेषण से यह तथ्य भी पाया गया है कि अभियुक्ता का आचरण एवं व्यवहार मृतका के प्रति अच्छा नहीं रहा। अभियुक्ता अक्सर अपनी दादी से लड़ती झगडती रहती थी। यदि मृतका को गिरने से चोटें आयी हुई होती तो अभियुक्ता जो कि मृतका के साथ एक ही घर में रहती थी और उसकी पौत्र बहुत थी, उक्त चोटों की जानकारी आस–पास, पडौस के व्यक्ति को अवश्य देती और मृतका का उपचार कराने का प्रयास करती, किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मृतका को गिरने के कारण चोटें आयी हो और उसकी सूचना अभियुक्ता द्वारा किसी आस–पडौस के व्यक्ति को दी गई हो और अभियुक्ता द्वारा मृतका का उपचार कराये जाने का कोई प्रयास किया गया हो।

38. पत्रावली पर उपलब्ध मृतका के पंचायतनामा व शव–विच्छेदन आख्या में दर्शित चोटों से यह स्पष्ट होता है कि मृतका के शरीर पर जो भी चोटें आयी है, वह गिरने अथवा फिसलने के कारण आना सम्भव नहीं थी, क्योंकि मृतका के पैरों,

तलवों, नाक, मुँह और सिर पर चोटें पायी गई है, ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि मृतका को डण्डे से मारपीट पीटकर व धक्का देकर दीवार में सिर लगने के कारण मृतका की मृत्यु हुई है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विश्लेषण से मुख्य तथ्य इस प्रकार प्रकट हुए है कि–

1. *अभियुक्ता मृतका के साथ घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद थी और मृतका की पौत्र बहू थी और एक ही घर में दोनों रहती थी।*
2. *मृतका के पति द्वारा इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपनी पत्नी /अभियुक्ता के विरूद्ध नामजद करते हुए स्वयं दर्ज कराई गई है, बिना अपराध किये कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायेगा।*
3. *मृतका के शरीर पर आयी हुई चोटों की प्रकृति एवं गम्भीरता से अभियुक्ता द्वारा कथित अपराध की पुष्टि होती है।*
4. *कथित चोटें मृतका को किसी अन्य तरह से आयी हो, यह मृतका साबित नहीं कर पायी है।*
5. *कथित अपराध के तथ्य एवं सभी परिस्थितियाँ केवल अभियुक्ता द्वारा ही अपराध कारित किये जाने की ओर इंगित करती है।*

39. इस प्रकार, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने मामले को अभियुक्ता के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्ता मीना देवी आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–105 बी0एन0एस0 में दोषसिद्व किया जाता है। अभियुक्ता न्यायालय में हाजिर है। अभियुक्ता पूर्व से जिला कारागार में निरूद्ध चली आ रही है। उसे पुनः अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड के बिन्दु पर आज ही सुने जाने की याचना की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज ही सुने जाने का कथन किया गया है। अतः उभय पक्ष की याचना पर अभियुक्ता दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनाँक–20.06.2026

(राजेश कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
आई0डी0 यू0पी0–5962

<u>लंच बाद</u>

40. दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया।

41. अभियुक्ता मीना देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्ता 33 वर्षीय नवयुवती है, जिसके मायके में उसका केवल भाई है, माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है। मायके वाले ही उसके केस की पैरवी करते है, ससुराल पक्ष से कोई पैरवी करने नहीं आता है। वह बहुत गरीब है। उसका सारा जीवन शेष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही अभियुक्ता सजायाफ्ता है। अभियुक्ता आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं है। वह मृतका को मारना नहीं चाहती थी, क्रोध के कारण उससे यह घटना गलती से हो गई है। वह भविष्य में ऐसा कोई गलती नहीं करेगी। अभियुक्ता, वादी की पत्नी है। अभियुक्ता लगातार जिला कारागार में निरूद्ध चल रही है। अभियुक्ता के अत्यधिक जेल में रहने से, अभियुक्ता के साथ–साथ वादी व परिवारीजन का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। अतः अभियुक्ता की पारिवारिक स्थिति एवं शेष जीवन को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता को कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा अपनी ददिया सास के साथ मारपीट की गई है, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। पत्रावली पर मृतका की मूल चिकित्सीय आख्यायें उपलब्ध है, जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्ता ने सामाजिक रिश्तों को भी तार–तार किया है। अभियुक्ता का अपराध समाज के प्रति गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्ता को अधिक से अधिक कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

42. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

43. अभियुक्ता को उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर दोषसिद्व किया जा चुका है। अभियुक्ता का अपराध समाज के प्रति गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्ता द्वारा अपनी ददिया सास के शरीर पर चोटें पहुँचाकर उसके सिर जैसे जैवीय भाग पर गंभीर चोटें पहुँचाई गई है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध से सामाजिक रिश्तों की मान मर्यादा को गम्भीर क्षति पहुँची है,। प्रायः समाज में ऐसी घटनाओं से सामाजिक रिश्तों का ह्रास होता है, जिससे समाज में जन समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभियुक्ता को दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अतः अभियुक्ता को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–105 बी0एन0एस0 में दोषी पाते हुए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा–

<u>आदेश</u>

44. दोषसिद्ध **मीना देवी** को अन्तर्गत **धारा–105** बी0एन0एस0 में दोषी पाते हुए **सात वर्ष** का कठोर कारावास तथा अंकन–15,000 / –रूपये **(पन्द्रह हजार रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

45. दोषसिद्ध अभियुक्ता की पूर्व की जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

46. दोषसिद्ध अभियुक्ता का सजायाबी वारंट बनाया जाकर जिला कारागार, अधीक्षक बुलन्दशहर को प्रेषित किया जाए।

47. माल मुकदमा बाद मियाद अपील अवधि नियमानुसार विनिष्ट किया जाये।

48. दोषसिद्ध अभियुक्ता को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

49. इस निर्णय की एक प्रति धारा–365 दण्ड प्रक्रिया संहिता (406 बी0एन0एस0एस0) के अन्तर्गत जिला–मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर को प्रेषित की जाए

(राजेश कुमार–तृतीय)
दिनाँक–20.06.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर
आई0डी0 यू0पी0–5962

50. यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार–तृतीय)
दिनाँक–20.06.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर
आई0डी0 यू0पी0–5962